



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, रविवार, 16 जून, 2002 ई०
ज्येष्ठ 26, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 219/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002

देहरादून, 19 जून, 2002

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2002 में दिनांक 16 जून, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 09, सन् 2002 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002

(अधिनियम संख्या 09, सन् 2002)

राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या
आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभावी होगा।

मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) का संशोधन

2. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) में निम्न संशोधन कर दिया जाएगा :-
शब्द "अध्यक्ष" के बाद शब्द "तथा उपाध्यक्ष" जोड़ दिये जाएंगे।

मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) का प्रतिस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्न उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी :-

आयोग में प्रतिष्ठित योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और नौ सदस्य, जिनमें एक महिला हो, होंगे, परन्तु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे।

मूल अधिनियम की धारा 4, 6, 14, 16, एवं 17 में संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 4, 6, 14, 16, एवं 17 में जहां-जहां शब्द "अध्यक्ष तथा सदस्य" आये हैं, वहां शब्द "अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य" पढ़े जाएंगे।

मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के परमात् उपधारा (4) एवं (5) का जोड़ा जाना

5. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के परमात् निम्नवत् दो नई उपधाराएं (4) एवं (5) जोड़ दी जाएंगी :-

(4) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उन कर्तव्यों का, उपाध्यक्ष द्वारा तब तक निर्वहन किया जाएगा जब तक नया अध्यक्ष अपना पद प्रारंभ नहीं करता है या, यथास्थिति, विद्यमान अध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं संभालता है।

(5) यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं, तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे सदस्य द्वारा, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करे, किया जाएगा।

आज्ञा रो,

मरोरी लाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Commission for Minorities (Second Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 03 of 2004) for general information :

No. 47/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003

Dated Dehradun, February 28, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on February 27, 2004.

THE UTTARANCHAL COMMISSION FOR MINORITIES
(SECOND AMENDMENT) ACT, 2003

(UTTARANCHAL ACT No. 03 OF 2004)

To further amend The Uttaranchal Commission for Minorities Act, 2002

AN

Act

Be It enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal Commission for Minorities (Second Amendment) Act, 2003.

(2) It extends to the whole of Uttaranchal.

(3) It shall have effect from such date as may be specified in this behalf

Short title,
Extent &
Commencement